to regularise any such unauthorised colony raised in January, 1992 onwards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The detilas are not available.

(b) The Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority and Delhi Administration take action under relevant laws to remove illegal constructions which come to their notice while illegal sale of agricultural land is liable for action under land reform laws.

(c) There is no provision in the Delhi Development Act, 1957 for the issue of such a public notice. However, action under this Act against illegal construction is taken by DDA as and when such constructions are noticed.

(c) No decision has been taken on the regularisation of unauthorised colonies after June, 1977.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

3980. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान आमतौर पर उनके मंत्रालय और विशेष रूप से सम्पदा निदेशालय के संदर्भ में ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने मामले अभी विचाराधीन हैं और कितने आवेदन पत्र रद्द कर दिये गए और प्रत्येक मामले में रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इन लम्बित मामलों का निर्णय करने हेतु कोई समयबद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं। सभी मामलों पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है जिनमें अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए मंत्रालय में बारह आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ग्यारह प्रार्थियों को नौकरी दी गई है और सम्पदा निदेशालय से संबंधित केवल एक मामले में नौकरी नहीं दी गई थी। यह मामला, दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आता था और आवेदक ने मंत्रालय द्वारा मांगी गई सूचना भी नहीं दी थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

3981. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सहायक अभियंता के आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ग) ऐसे आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और वे कब से खाली पड़े हुए हैं;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार सहायक अभियंताओं के आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं के आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति के स्नातक अभियंताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।